पूर्वी यूपी में मूसलाधार बारिश, 13 लोगों की मौत

लखनऊ, 16 सितंबर (भाषा)।

उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में मानसून ने खासा जोर पकड़ लिया है और पिछले 24 घंटों में इन इलाकों में ज्यादातर स्थानों पर मूसलाधार बारिश हुई। इस दौरान हुई तेज बारिश के कारण हुए हादसों में कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है।

आंचलिक मौसम केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में प्रतापगढ़ और अयोध्या में सबसे ज्यादा 20-20 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। प्रदेश के पूर्वी इलाकों में अनेक जगहों पर बुधवार रात से शुरू हुई बारिश गुरुवार रात तक जारी रही।

बारिश के कारण प्रदेश के विभिन्न जिलों में दीवार अथवा मकान गिरने की घटनाओं में मलबे में दबकर कम से कम 13 लोगों की मौत होने की सूचना है। जौनपुर में चार, फतेहपुर में तीन, बाराबंकी और प्रतापगढ़ में दो-दो तथा कुशीनगर और सुलतानपुर में एक-एक व्यक्ति की मौत होने की सूचना है।

जौनपुर से प्राप्त सूचना के मुताबिक जिले में बारिश के कारण कच्चे मकानों की दीवार ढहने की अलग-अलग घटनाओं में मलबे में दबकर एक ही परिवार के तीन सदस्यों समेत कुल चार लोगों की मौत हो गई। सिकरारा थाना क्षेत्र के सकल देल्हा गांव में दीवार ढहने से एक, फतेहपुर में अलग-अलग घटनाओं में तीन लड़कियों, कल्यानपुर के महरहा गांव में एक बच्ची, बसायगपुर ढेमा गांव में दो लोगों, गोटेगांव में एक, गढ़ी चक में एक महिला, बिरनेर गांव में एक महिला और माधवपुर छतौना गांव में एक बच्ची की मौत हो गई। प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान राज्य में कुछ स्थानों पर वर्षा होने का अनुमान है।

बस-ट्रक की टक्कर में दो की मौत

इटावा, 16 सितंबर (जनसत्ता)।

आगरा लखनऊ एक्सप्रेस मार्ग पर सैफई थाना क्षेत्र के अंतर्गत टिमरूआ गांव के पास दिल्ली से गोण्डा जा रही एक वोल्वो बस के ट्रक से टकरा जाने से चालक समेत दो लोगों की मौत और 16 यात्री घायल हो गए। हादसे की शिकार हुई बस में 65 यात्री सवार थे।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बस हादसे मे मारे गए लोगों के प्रति सांत्वना प्रकट करते हुए घायलों के निशुल्क उपचार के लिए डीएम और सीएमओ को निर्देशित किया है।

इटावा के एसएसपी डॉ. ब्रजेश कुमार सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हादसे के बाद स्थानीय सैफई थाना पुलिस ने तत्परता से बस हादसे मे घायलो को एंबुलेंस के जरिये सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी मे भर्ती कराया। उन्होंने कहा कि सभी घायलों को सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में भर्ती कराया गया जहां पर डॉक्टरों की टीम सभी का इलाज करने में जुटी हुई है। मरने वालों में एक की पहचान चालक के रूप में प्रतापगढ़ के दिलीप शुक्ला के तौर पर हुई है, जबकि दूसरे की पहचान गोण्डा के किशन शुक्ला के रूप में हुई है।

सपा के राष्ट्रीय सचिव को कोर्ट में पेश करने का निर्देश

चंदौली 16 सितंबर (जनसत्ता)।

सपा के राष्ट्रीय सचिव तथा सैयदराजा से पूर्व विधायक रहे मनोज सिंह डब्लू को एक मामले में कोर्ट के जरिए दी गई तारीख पर पेश नहीं होने के बाद गुरुवार को सकलडीहा के उपजिलाधिकारी ने धीना थानाध्यक्ष को उन्हें गिरफ्तार कर 20, सितंबर को कोर्ट में पेश करने का निर्देश जारी किया है।

वहीं मनोज सिंह डब्लू इस कारवाई को सरकार की शह पर करने की बात कह रहे हैं। मनोज सिंह ने 10, सितंबर को सेना भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के साथ चंदौली के महेन्द्र टेक्निकल इंटर कॉलेज के परिसर में सभा की थी। कोविड-19 की सुरक्षा को देखते हुए ऐसी सभा का आयोजन करने के लिए मना करते हुए 9 सितंबर को उन्हें नोटिस जारी किया गया था। उसके बाद भी वह कार्यक्रम हुआ जिस पर कारवाई करते हुए उनके ऊपर 107/116 का मुकदमा दर्ज किया गया और 13 सितंबर को कोर्ट में पेश होने का नोटिस दिया गया। सूचना के बावजूद वे न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। सकलडीहा के उप जिलमजिस्ट्रेट ने मनोज सिंह को गिरफ्तार कर 20 सितंबर को न्यायालय में पेश करने का निर्देश जारी किया है। वहीं मनोज सिंह ने कहा कि यह सब सत्ता की शह पर किया जा रहा है। 107, 116 के मामले में जमानत के लिए 75, लाख की जमानत की व्यवस्था करनी थी। इसलिए हम तत्काल इसकी व्यवस्था नहीं कर पाए थे।

आरोपी सांसद अतुल के मामले में दो अधिकारियों पर कार्रवाई

वाराणसी, 16 सितंबर (जनसत्ता)।

जेल में बंद घोसी सांसद अतुल राय पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली पीड़िता और गवाह की मौत के बाद वाराणसी के तत्कालीन अधिकारियों की लापरवाही भी उजागर हो रही है। बलात्कार पीड़िता के आत्मदाह प्रकरण में एसआइटी की रिपोर्ट में तत्कालीन एसपी सिटी विकास चंद्र त्रिपाठी और एडीसीपी वरूणा विनय कुमार सिंह पर पीड़िता की शिकायत की जांच को गंभीरता से नहीं लेने और मामले की निगरानी में लापरवाही बरतने का आरोप है। दो अधिकारियों के जांच के दायरे में आने के बाद महकमे में और भी लोगों पर शिकंजा कसने की आशंका है। आरोपी सांसद अतुल राय मंडुवाडीह थाने का हिस्ट्रीशीटर है। सांसद पर बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराने वाली पीड़िता लगातार पुलिस से गुहार लगाती रही कि सांसद के गुर्गे उसे धमकी दे रहे हैं।

विकास चंद्र त्रिपाठी वाराणसी में पहले एसपी सिटी और कमिश्नरेट लागू होने के बाद एडीसीपी काशी जोन थे। विनय कुमार सिंह कमिश्नरेट में एडीसीपी वरूणा रहे और वर्तमान में एडीसीपी प्रोटोकाल हैं। इन दोनों अधिकारियों से भी पीड़िता और गवाह ने कई बार सांसद के गुर्गों के कारस्तानी की शिकायत की थी, मगर दोनों ने गंभीरता नहीं दिखाई थी। यहां बता दें कि दो दिसंबर 2020 को बलात्कार मामले के गवाह ने वाराणसी के शिवपुर निवासी शोभित सिंह और शुभम पर जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कराया था। उसका आरोप था कि अतुल राय के खिलाफ गवाही देने पर उसे धमकाया जा रहा है। इस मामले में गवाह ने आरोपियों के खिलाफ पुलिस को पुख्ता सबूत भी सौंपा था।

इसके दो दिन बाद ही चार दिसंबर 2020 को पीड़िता ने सांसद अतुल राय ओर सुधीर कुमार के खिलाफ सोशल मीडिया पर चरित्रहीन टिप्पणी करने का मुकदमा दर्ज कराया था। इन मामलों में पुलिस की जांच सवालों के घेरे में है। कारण पुलिस ने जांच के नाम पर कागजी खानापूर्ति की और नामजद किसी आरोपी पर कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे में पीड़िता लगातार अपनी सुरक्षा को लेकर सशंकित थी और कार्रवाई के लिए अफसरों के चक्कर काटती रही। 16 अगस्त को पीड़िता और गवाह के आत्महत्या के बाद गाजियाबाद में तैनात रहे वाराणसी के तत्कालीन एसएसपी अमित पाठक को पुलिस मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया था। उधर कैंट थाने में पीड़िता और गवाह के खिलाफ दर्ज मुकदमें में पुलिस की लापरवाही पर इंस्पेक्टर राकेश सिंह और विवेचक गिरजा शंकर यादव को निलंबित कर दिया गया था।

कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण शुरू

कुशीनगर, 16 सितंबर (जनसत्ता)।

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में जिला अस्पताल के बगल में बनने वाले बहुप्रतीक्षित राजकीय मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल भवन का निर्माण बुधवार से प्रारंभ कर दिया गया। जिला अस्पताल में मरीजों के आने-जाने के लिए इमरजेंसी गेट से आवागमन बंद कर सिर्फ मुख्य गेट को खोला गया है। पहले दिन कार्यदायी संस्था के कर्मचारी भवन के फाउंडेशन सहित अन्य कार्य प्रारंभ कर दिए। बारिश के बावजूद कार्य जारी रहा। हालांकि बनने वाले भवन के दायरे में आने वाले अभी पेड़ काटे जाने हैं और टीबी अस्पताल व कार्डियो का भवन ध्वस्त भी कराया जाना है।

राजकीय मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में केंद्र सहायतित योजना (फेज-3) के अंतर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सदर तहसील क्षेत्र के रामपुर मटिहनिया गांव में 13 एकड़ जमीन पर मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई के लिए भवन निर्माण का कार्य चल रहा है। इसके अतिरिक्त सरकारी आवासों की अवशेष तीन एकड़ जमीन पर चिकित्सा कर्मियों का आवास और कलेक्ट्रेट के पीछे जिला अस्पताल से लगी लगभग दो एकड़ जमीन पर राजकीय मेडिकल कॉलेज के भवन का निर्माण होगा। इस कार्य में आड़े आ रहे टीबी हॉस्पिटन, हृदय रोगियों के आइसीयू सहित कुछ भवन तोड़े जाने हैं।

इससे पहले जिला अस्पताल से संबद्ध मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल का निर्माण बुधवार को शुरू कर दिया गया। यह हॉस्पिटल भवन कलेक्ट्रेट के पीछे जिला अस्पताल से लगी जमीन में होगा। बुधवार को कार्यदायी संस्था पीडब्ल्यूडी से जुड़े ठेकेदार और मजदूर पिलर सहित अन्य कार्य शुरू कर दिए। बुधवार को जिला अस्पताल के इमरजेंसी गेट से आवागमन बंद कर दिया गया। जिला पंचायत वाले मार्ग अथवा सर्किट हाउस के सामने से गुजरने वाले मार्ग से होकर ही मरीज जिला अस्पताल में जा सकेंगे। मरीजों के आवागमन के लिए सिर्फ मुख्य गेट ही खोला गया है।

स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राजकीय मेडिकल कॉलेज के निर्माण पर पुनरीक्षित लागत 320.2062 करोड़ रुपए है। एक दिसंबर-2020 को व्यय वित्त समिति की बैठक के बाद 281.4501 करोड़ रुपए शर्तों के साथ अनुमोदित कर दिए गए थे। राजकीय मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है, जो रामपुर मटिहनिया में निर्माण कार्य करा भी रही है। जिला अस्पताल से संबद्ध राजकीय मेडिकल कॉलेज नौ मंजिला प्रस्तावित है।

TATA

TATA STEEL LIMITED

Registered Office: Bombay House, 24, Homi Mody Street,Fort, Mumbai - 400 001, India

Tel.: +91 22 6665 8282 **Website**: www.tatasteel.com

Contact Person: Parvatheesam Kanchinadham, Company Secretary & Chief Legal Officer (Corporate & Compliance)

Contact No.: +91 22 6665 7279 **E-mail**: cosec@tatasteel.com

Corporate Identity Number: L27100MH1907PLC000260

यह केवल सूचना के लिए एक विज्ञापन है न कि प्रकाशन, वितरण अथवा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भारत से बाहर वितरण के लिए है। यह प्रस्ताव दस्तावेज हेतु कोई घोषणा नहीं है। यहां प्रयुक्त सभी कैपिटाइलज्ड और अपरिभाषित शब्द बीएसई लिमिटेड (''बीएसई'') तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड (''एनएसई'') (बीएसई तथा एनएसई को इसके पश्चात एक साथ ''स्टॉक एक्सचेंज'' सन्दर्भित किया जायेगा) तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (''सेबी'') के साथ दर्ज प्रस्ताव पत्र दिनांक 22 जनवरी, 2018 में उनके लिए निर्धारित अर्थ के समरूप होंगे।

रिकार्ड तिथि अर्थात 19 फरवरी, 2021 को धारित आंशिक प्रदत्त इक्विटी शेयरों (आईएसआईएन : IN9081A01010) के धारकों हेतु अन्तिम रिमाइंडर-सह-जब्ती सूचना

कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') तथा उसके तहत निर्मित प्रासंगिक नियमों के साथ पठित प्रावधानों तथा प्रस्ताव पत्र दिनांक 22 जनवरी, 2018 (''प्रस्ताव पत्र'') के सन्दर्भ में, अन्तिम रिमाइंडर-सह-जब्ती सूचना उन आंशिक प्रदत्त इक्विटी शेयर धारकों (''शेयरधारक'') को रिकार्ड तिथि अर्थात 19 फरवरी, 2021 को इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेजे जा चुके हैं जिन्होंने प्रथम एवं अन्तिम कॉल मनी सूचना दिनांक 23 फरवरी, 2021, रिमाइंडर-सह-जब्ती सूचना दिनांक 14 अप्रैल, 2021 तथा दूसरी रिमाइंडर-सह-जब्ती सूचना दिनांक 21 जून, 2021 के अनुसार कॉल मनी या उसके अंश का भुगतान नहीं किया है तथा जिनके ई-मेल पते कम्पनी अथवा इसके रजिस्ट्रार एवं अन्तरण एजेंट-टीएसआर दाराशा कन्सल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड (''आरटीए'') या डिपाजिटरी भागीदार(रों) के साथ पंजीकृत हैं। पुनः, अन्तिम रिमाइंटर-सह-जब्ती सूचना तथा विस्तृत निर्देश एवं भुगतान पर्ची उन सभी आंशिक प्रदत्त इक्विटी शेयरधारकों के पंजीकृत पते पर रिकॉर्ड तिथि को अनुमत्य माध्यमों से भेजी जा चुकी है जिन्होंने प्रथम एवं अन्तिम कॉल मनी (या उसके भाग) का भुगतान नहीं किया है। कम्पनी ने 15 सितम्बर, 2021 को डिस्पैच का कार्य पूरा कर लिया है।

बोर्ड द्वारा विधिवत अधिकृत हितधारक सम्बन्ध समिति (''समिति'') ने प्रथम एवं अन्तिम कॉल मनी के रूप में प्रथम एवं अन्तिम कॉल राशि रु. 461/- प्रति आंशिक प्रदत्त इक्विटी शेयर (फेस वैल्यू के प्रति रु. 7.496 तथा प्रतिभूति प्रीमियम के प्रति रु. 453.504 से निर्मित) के भुगतान हेतु अन्तिम रिमाइंडर-सह-जब्ती सूचना भेजने का अनुमोदन किया है।

तदनुसार, अन्तिम रिमाइंडर-सह-जब्ती सूचना निम्नलिखित विवरण उपलब्ध कराते हुए सर्व की गयी है :

भुगतान अवधि	**से**	**तक**	**अवधि**
	20 सितम्बर, 2021	19 अक्टूबर, 2021	30 दिन
भुगतान का माध्यम	**(क) चेक/डिमांड ड्राफ्ट[1] (को देय)**	क) Tata Steel Call Money- Escrow collection - R a/c (रेजीडेंट शेयरधारकों हेतु)	
		ख) Tata Steel Call Money - Escrow collection - NR a/c (नॉन-रेजीडेंट शेयरधारकों हेतु)	
	(ख) आर-वैप[2]	आर-वैप सुविधा का प्रयोग करते हुए www.linkintime.co.in पर	

(1) हमारे बैंक के साथ कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (''पीएसबी'') के समामेलन के बाद, समामेलित पीएसबी के चेक 1 अप्रैल, 2021 से अवैध हो गये हैं। शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि ऐसे पीएसबी के चेक का उपयोग करके किए गए प्रथम और अंतिम कॉल मनी का भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा और ऐसे चेक का उपयोग करके कॉल मनी का भुगतान अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(2) केवल रेजीडेंट शेयरधारकों के लिए उपलब्ध है और ऐसे भुगतान 19 अक्टूबर, 2021 को बैंकिंग समय की समाप्ति पर या उससे पहले प्राप्त किए जाने हैं। आर-वैप के माध्यम से भुगतान बैंकों के लिए उपलब्ध है जैसा कि नीचे बताया गया है।

यदि कोई शेयरधारक चेक/डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान का विकल्प लेता है तो चेक या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा देय राशि के साथ भुगतान पर्ची (एकमात्र/प्रथम शेयरधारक के पूर्ण नाम, प्रथम एवं अन्तिम कॉल सूचना सं., डीपी आईडी-क्लाइंट आईडी/फोलियो नं., तथा आंशिक प्रदत्त इक्विटी शेयरों की संख्या का उल्लेख करते हुए) 19 अक्टूबर, 2021 तक या इससे पूर्व बैंकिंग घंटों के दौरान निम्नलिखित स्थानों पर आईसीआईसीआई बैंक के पास जमा करना होगा।

रेजीडेंट शेयरधारकों हेतु	**अहमदाबाद:** आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, जेएमसी हाउस, सामने परिमल गार्डन्स, ऑफ सी.जी. रोड, अंबावाड़ी, अहमदाबाद - 380006, गुजरात; **बेंगलुरु:** आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, 1, शोभा पर्ल, कमिश्रिएट रोड, ऑफ एमजी रोड, ग्राउंड फ्लोर, बेंगलुरु - 560025, कर्नाटक; **चेन्नई:** आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, 110, प्रकाश प्रेसिडियम, उत्थमार गांधी सलाई, नुंगमबक्कम हाई रोड, चेन्नई - 600034, तमिलनाडु; **हैदराबाद:** आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, 6-2-1012, टीजीवी मैंशन्स, सामने इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स, खैरताबाद, हैदराबाद - 500004, तेलंगाना; **जमशेदपुर:** आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, नटराज मेंशन, मेन रोड, बिष्टुपुर, जमशेदपुर - 831001, झारखंड; **कोलकाता:** आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, 22, सर आर. एन. मुखर्जी रोड, कोलकाता - 700001, पश्चिम बंगाल; **मुंबई:** आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, पहली मंजिल, 122, मिस्त्री भवन, दिनशॉ वछा रोड, बैकबे रिक्लेमेशन, चर्चगेट, मुंबई - 400021, महाराष्ट्र; **नई दिल्ली:** आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, 9ए, फेल्प्स बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110001, दिल्ली; **पुणे:** आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, ए विंग शांगरीला गार्डन, बंद गार्डन रोड पुणे - 411001, महाराष्ट्र; **सूरत:** आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, प्लेटिनम प्लाजा, सामने वी.टी. चोकसी लॉ कॉलेज, अथवालाइन्स, सूरत - 395007, गुजरात; **वडोदरा:** आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, 42, हरिभक्ति सोसाइटी, निकट चकली सर्कल, ओ.पी. रोड, वडोदरा - 390007, गुजरात
नॉन-रेजीडेंट शेयरधारकों हेतु	**मुंबई:** आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, पहली मंजिल, 122, मिस्त्री भवन, दिनशॉ वछा रोड, बैकबे रिक्लेमेशन, चर्चगेट, मुंबई - 400021, महाराष्ट्र

ऐसे स्थान पर रहने वाले शेयरधारक जहाँ आईसीआईसीआई बैंक के संग्रह केन्द्र उपलब्ध नहीं हैं, वे भरी हुई भुगतान पर्ची सहित अपनी प्रथम एवं अन्तिम कॉल मनी रजिस्ट्रार के कार्यालय : **लिंक इनटाइम इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट-टाटा स्टील लिमिटेड), सी-101, 247 पार्क, एलबीएस मार्ग, सूर्य नगर, गांधी नगर, विखरोली वेस्ट, मुम्बई-400083, महाराष्ट्र, भारत, दूरभाष नं. : +91-22 4918 6200** पर, प्रथम एवं अन्तिम कॉल मनी चेक, मुम्बई में देय चेक/डिमांड ड्राफ्ट के अपेक्षित विवरण देते हुए इस प्रकार रजिस्टर्ड पोस्ट/स्पीड पोस्ट द्वारा भेजें कि वह अन्तिम रिमाइंडर-सह-जब्ती सूचना में उल्लिखित के अनुसार प्रथम एवं अन्तिम कॉल मनी के भुगतान की अन्तिम तिथि अर्थात 19 अक्टूबर, 2021 तक या इससे पूर्व पहुंच जाए।

पुनः, रेजीडेंट शेयरधारकों द्वारा प्रथम एवं अन्तिम कॉल के भुगतान हेतु एक अलग से वेब-आधारित प्लेटफॉर्म अर्थात आर-वैप सुविधा सुविधा (www.linkintime.co.in पर एक्सेसिबल) स्थापित किया गया है। शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि आर-वैप सुविधा केवल रेजीडेंट शेयरधारकों के लिए उपलब्ध है। नॉन-रेजीडेंट शेयरधारक आर-वैप के माध्यम से प्रथम एवं अन्तिम कॉल मनी अदा करने के पात्र नहीं होंगे। आर-वैप के वेब पेज पर, रेजीडेंट शेयरधारक एक्सेस कर सकते हैं और आर-वैप का उपयोग करते हुए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में भुगतान कर सकते हैं। आर-वैप के माध्यम से भुगतान करने वाले रेजीडेंट शेयरधारक इंटरनेट बैंकिंग अथवा यूपीआई सुविधा का प्रयोग करते हुए ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे।

रेजीडेंट शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि भुगतान केवल निम्नलिखित बैंकों में रखे गए खातों से आर-वैप के माध्यम से किया जा सकता है:

1. इलाहाबाद बैंक 2. एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड 3. एक्सिस बैंक लिमिटेड 4. बैंक ऑफ बड़ौदा 5. बैंक ऑफ इंडिया 6. केनरा बैंक 7. सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड 8. ड्यूश बैंक एजी 9. धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड 10. एचडीएफसी बैंक लिमिटेड 11. आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड 12. आईडीबीआई बैंक 13. इंडियन बैंक 14. इंडियन ओवरसीज बैंक लिमिटेड 15. इंडसइंड बैंक लिमिटेड 16. जम्मू और कश्मीर बैंक 17. करूर वैश्य बैंक लिमिटेड 18. कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड 19. साउथ इंडियन बैंक 20. स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक 21. भारतीय स्टेट बैंक 22. एसवीसी सहकारी बैंक लिमिटेड 23. सिंडिकेट बैंक 24. तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड 25. लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड 26. सारस्वत सहकारी बैंक बैंक लिमिटेड 27. यस बैंक लिमिटेड

कृपया ध्यान दें कि, अंतिम रिमाइंडर-सह-जब्ती नोटिस के अनुसार प्रथम और अंतिम कॉल मनी का भुगतान करने में विफलता, जैसा कि ऊपर बताया गया है, आंशिक रूप से प्रदत्त इक्विटी शेयरों को प्रस्तुत करेगा (इस हद तक कि पहली और अंतिम कॉल मनी का भुगतान नहीं किया गया था)), उस पर पहले से भुगतान की गई आवेदन राशि सहित, अधिनियम, कंपनी के संगम ज्ञापन और प्रस्ताव के पत्र के अनुसार जब्त करने योग्य हो जायेगी।

शेयरधारक कृपया यह भी ध्यान दें कि :

i. रु. 10 प्रत्येक (रु. 2.504 प्रदत्त) के अंकित मूल्य के आंशिक प्रदत्त इक्विटी शेयरों को प्रदर्शित करने वाला आईएसआईएन IN9081A01010 को बुधवार, 17 फरवरी, 2021 को स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निलम्बित कर दिये गये हैं। पुनः आंशिक प्रदत्त इक्विटी शेयर को प्रदर्शित करने वाला आईएसआईएन IN9081A01010 नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (''एनएसडीएल'') तथा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (''सीडीएसएल'') द्वारा शुक्रवार, 19 फरवरी, 2021 को निलम्बित कर दिया गया।

ii. डिपॉजिटरी द्वारा आवंटित वर्तमान पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों हेतु वर्तमान आईएसआईएन INE081A01012 के तहत आंशिक प्रदत्त इक्विटी शेयर को पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों में परिवर्तन करने हेतु कॉर्पोरेट कार्यवाही की प्रक्रिया इस अन्तिम रिमाइंडर-सह-जब्ती सूचना के तहत निर्धारित प्रथम एवं अन्तिम कॉल मनी के भुगतान की अन्तिम तिथि से दो से तीन सप्ताह के भीतर पूर्ण हो जाने का अनुमान है। कॉर्पोरेट कार्यवाही पूर्ण होने पर, आंशिक प्रदत्त इक्विटी शेयरों को पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों में बदल दिया जायेगा और एनएसडीएल/सीडीएसएल द्वारा आवंटित आईएसआईएन INE081A01012 में जमा कर दिया जायेगा।

iii. रिमाइंडर-सह-जब्ती सूचना की प्राप्ति न होने पर, शेयरधारक डुप्लीकेट रिमाइंडर-सह-जब्ती सूचना के लिए रजिस्ट्रार के पास ई-मेल कर सकते हैं या सम्बोधित कर सकते हैं, अथवा इसे कम्पनी की वेबसाइट https://www.tatasteel.com/investors/investor-information/rights-issue-first-and-final-call/ अथवा रजिस्ट्रार की वेबसाइट www.linkintime.co.in से डाउनलोड भी कर सकते हैं। हालांकि, ऐसी स्थिति में शेयरधारक को डीपी आईडी-क्लाइंट आईडी या फोलियो नं., धारित आंशिक प्रदत्त इक्विटी शेयरों की संख्या तथा प्रथम एवं अन्तिम कॉल मनी की देय राशि भरनी होगी।

iv. आंशिक प्रदत्त इक्विटी शेयर भौतिक प्रारूप में धारण करने वाले शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि कम्पनी उन शेयरधारकों को पूर्ण प्रदत्त स्टिकर अग्रसारित करेगी जिन्होंने प्रथम एवं अन्तिम कॉल मनी अदा कर दी है और कथित स्टिकर आंसिक प्रदत्त इक्विटी शेयरों के वर्तमान शेयर प्रमाणपत्र पर चिपका दिया जायेगा जहां आवेदन मनी के भुगतान हेतु प्रावधान दिये गये हैं। पूर्ण प्रदत्त राशि के साक्ष्य के रूप में ये भौतिक शेयर प्रमाणपत्र स्टॉक एक्सचेंजों से सूचीबद्धता एवं व्यापार अनुमोदन की प्राप्ति के पश्चात भी डीमैटीरियलाइज्ड किये जा सकते हैं।

v. शेयरधारक को आवेदन, आयकर अधिनियम, 1961 के तहत आवंटित पैन नम्बर का उल्लेख करना होगा।

रिमाइंडर-सह-जब्ती सूचना के सम्बन्ध में सभी पत्राचार **लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट : टाटा स्टील लिमिटेड), सेबी पंजीकरण संख्या : INR000004058, सी-101, 247 पार्क, एलबीएस मार्ग, सूर्या नगर, गांधी नगर, विखरोली वेस्ट, मुम्बई-400083, महाराष्ट्र, भारत, दूरभाष : +91 22 4918 6300 / 91 22 4918 6200 फैक्स : +91 22 4918 6195, ई-मेल : tsl.call1@linkintime.co.in वेबसाइट : www.linkintime.co.in सम्पर्क व्यक्ति : श्री सुमीत देशपाण्डे** को सम्बोधित किए जायेंगे।

टाटा स्टील लिमिटेड
ह./-
पार्वथीसम कांचीनाधम
कम्पनी सचिव एवं
मुख्य विधिक अधिकारी (कॉर्पोरेट एवं अनुपालन)

17 सितम्बर, 2021
मुम्बई

TATA STEEL

www.readwhere.com